7

न्यायालय सम्पदा अधिकारी एवं अति0 कलक्टर (न्याय), एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला, जयपुर

सम्पदा प्रकरण सख्याः 04/2017(आरसीएमएस संख्या : 2017/00512)

राजस्थान सरकार जरिये संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर (राजस्थान)

प्रार्थी,

बनाम्

श्री विक्रमादित्य सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजवी एवं दत्तक पुत्र पूर्व उपराष्ट्रपति स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत, निवासी–14, सिविल लाईन, जयपुर (राजस्थान)।

अप्रार्थी,

(परिवाद अन्तर्गत राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 बाबत् राजकीय आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर निष्कासन व हर्जा इस्तेमाली।)

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप सिंह चौहान, लोक अभियोजक, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री विमल चौधरी, श्री राधेश्याम, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांकः 07.10.2019

प्रार्थी, संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर (राजस्थान) द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर कि आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर स्थित राजकीय सम्पति है, जिसे श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति पेंशन एक्ट, 1997 के अन्तर्गत जारी उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य देय सुविधायें नियम, 1999 के नियम 4 (ए) के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुरोध पर नियमानुसार सुसृजित बंगला संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर का उनके निवास हेतु दिनांक 15.05.2010 से राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलता प्रदान करते हुये सशर्त आवंटन किया गया। श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व0 श्री भैरोसिंह जी शेखावत, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति का निधन दिनांक 09.03.2014 को हो जाने के पश्चात यह आवास नियमानुसार रिक्त नहीं किये जाने पर एवं इसके लिए नियमानुसार शास्ति होने का उल्लेख करते हुए शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग, जयपुर द्वारा अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह को समुचित रूप से नोटिस दिये गये इनके जवाब नहीं दिये गये। इस प्रकार अप्रार्थी अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए है और उनके द्वारा कब्जा नही सम्भलाया गया

6

Estate Officer, Addl. District ... JAIPUR

अप्रार्थी बतौर अतिक्रमी है अतः प्रार्थना स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी से राजकीय आवास बंगला नं0 14, सिविल लाईन, जयपुर को खाली कर वास्तविक कब्जा दिलवाया जावे एवं नियमानुसार किराया/हर्जा राशि अप्रार्थी से वसूल करवायी जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं इसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन पर प्रथम–दृष्ट्या यह समाधान होने पर कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय है और इसमें अप्रार्थी द्वारा अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा हैं। अधिनियम,1964 की धारा 4(1) के सपठित राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) नियम,1966 में निर्धारित प्ररुप ''क'' में अप्रार्थी के निमित नोटिस जारी किया गया जिसकी अप्रार्थी को तामील होने पर अप्रार्थी जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। विद्वान् लोक अभियोजक श्री प्रदीप सिंह चौहान का कथन है कि प्रकरण अधीन आवास राजकीय आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर है, जो सिविल लाईन में स्थित है। इस राजकीय आवास को श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत, भूतपूर्व उप राष्ट्रपति पेंशन एक्ट, 1997 के अन्तर्गत जारी उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य देय सुविधायें नियम, 1999 के नियम 4(ए) के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुरोध पर नियमानुसार सुसज्जित बंगला उनके निवास हेतु दिनांक 15.05.2010 से राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलता प्रदान करते हुये सशर्त आवंटन किया गया था। आवंटन आदेश दिनांक 19.10.2010 में आवंटन की शर्तों का स्पष्ट उल्लेख है कि यह आवास उप राष्ट्रपति पेंशन एक्ट, 1997 के अन्तर्गत जारी उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य देय सुविधांए नियम, 1999 के नियम 4(ए) के प्रावधान अन्तर्गत केवल आवंटी के जीवित रहने तक के लिए ही मान्य होगा। अन्य किसी व्यक्ति को हस्तानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, सुसज्जित आवास का किराया/बिजली/पानी व अन्य सभी प्रकार का समस्त व्यय का भुगतान केन्द्रीय पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय त्रिकुट–II काम्पलेक्स बीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली द्वारा वहन किया जावेगा, आवास का आवंटन श्रीमती सूरज कंवर के पास जयपुर में स्वयं का आवास नहीं होने की शर्त के अध्याधीन है एवं इनके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी। इस प्रकार आंवन्टन की शर्त के अनुसार यह आंवन्टन आवास हेतु उप राष्ट्रपति पेंशन एक्ट, 1997 के अन्तर्गत जारी उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य देय सुविधांए नियम, 1999 के नियम 4(ए) के प्रावधान अन्तर्गत केवल आवंटी श्रीमती सूरज कंवर के जीवित रहने तक के लिए ही प्रभावी है । अन्य किसी व्यक्ति को हस्तानान्तरित नहीं किया जा सकेगा, आवंटी श्रीमती सूरज कंवर का दिनांक 09.03.2014 को स्वर्गवास हो गया है और इनकी मृत्यु के पश्चात आवंटन की शर्तों के अनुसार सरकार को कब्जा संभलाया जाना चाहिए था किन्तु अभी तक भी श्री विक्रमादित्य सिंह पुत्र श्री नरपत सिंह राजवी दत्तक पुत्र पूर्व उप राष्ट्रपति स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे है। आवंटी श्रीमती सूरज कंवर की मृत्यु के पश्चात विभाग द्वारा जरिये पत्र दिनांक 19.02.2015, दिनांक 05.01.2015, दिनांक 10.02.2017 एवं दिनांक 31.03.2017

अप्रार्थी को राजकीय आवास संख्या 14, सिविल लाईन्स, जयपुर रिक्त किये जाने हेतु सूचित किया गया है इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास को रिक्त नहीं किया गया है जबकि यह राजकीय आवास रिक्त होने की प्रत्याशा में अन्य को आवंटित किया जा चुका है। आवन्टी को राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानों के अन्तर्गत आंवन्टन किया गया है अतः आवास रिक्त कराये जाने हेतु इन्ही नियमों के प्रावधान लागू होंगे। आवास आवंटन की शर्त के अनुसार आवास आंवन्टी के जीवित रहने तक के लिये ही मान्य है और अन्य किसी को हस्तानान्तरित नहीं किये जाने की शर्त का आवंटन आदेश में उल्लेख है आवंटी की दिनांक 09.03.2014 को मृत्यु हो चुकी है और तत्पश्चात् अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह को वैध रूप से हस्तानान्तरित नहीं किया गया है और न ही इनको आवंटित किया गया है अर्थात अप्रार्थी विक्रमादित्य सिंह, आवंटी श्रीमती सूरज कंवर की मृत्यु के पश्चात् अनाधिकृत रूप से आवास संख्या 14 में निवास कर रहे है। अतः अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्य 14, सिविल लाईन, जयपुर में अप्राधिकृत रुप से अधिवास किया जा रहा है और उनके द्वारा सरकारी आवास को रिक्त नही किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.14(1)साप्र/2/2014 जयपुर दिनांक 04.06.2014 दिनांक द्वारा प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड प्रथम, जयपुर को उनके अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से आवासी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया है और आंवन्टी श्रीमती सूरज कंवर की मृत्यु के पश्चात् अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे श्री विक्रमादित्य सिंह को आवास रिक्त किये जाने हेतु समुचित रूप से नोटिस दिये गऐ है इसके बावजूद भी 5 वर्ष से अधिक समयावधि गुजरने पर भी अनाधिकृत रूप से निवास कर रहे अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिह आवास संख्या 14 को रिक्त किया जाकर कब्जा नहीं सम्भलाया गया है अतः अनाधिकृत रूप से आवासी श्री विक्रमादित्य सिंह से राजकीय आवास को रिक्त कराये जाने का सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया है इसी के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध परिवाद प्रस्तुत किया गया है अनाधिकृत रूप से आवासी से आवास रिक्त कराये जाने हेतु समेरी प्रोसिडिंग्स है अतः अप्राधिकृत रूप से अधिवसित श्री विक्रमादित्य सिंह राजकीय आवास रिक्त कराया जाकर कब्जा सम्भलाया जावे।

प्रार्थी के अधिवक्ता लोक अभियोजक की बहस का खण्डन करते हुऐ अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री विमल चौधरी ने कथन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया परिवाद कपोल कल्पिक तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है परिवाद में कोई तात्विक तथ्य नहीं है। अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा राजकीय आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर में साधिकार निवास किया जा रहा है। वादग्रस्त आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर में स्व0 श्री भैरोसिंह जी शेखावत जो कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहें है, को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.12.1998 को आवंटित किया गया था। मुख्यमंत्री पद के पश्चात स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत भारत के उप राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे है इनके निधन के पश्चात उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य देय सुविधायें नियम, 1999 के नियम 4(ए) के अन्तर्गत भारत सरकार के अनुरोध पर नियमानुसार सुसज्जित बंगला अप्रार्थी की माता श्रीमती सूरज कंवर को आवंटित किया गया है। अप्रार्थी, स्व0 श्री भैरोसिंह जी शेखावत के जीवन काल से ही वादग्रस्त सम्पत्ति में

Estate Officer, Addl. District Magistrate (...) JAIPUR

परिवार सहित निरन्तर निवास कर उपयोग व उपभोग कर रहा है। यह परिसर काफी वर्षों से जन साधारण एवं प्रशासनिक व राजनैतिक क्षेत्र में माननीय भैरोसिंह जी शेखावत के बंगले के रूप में विख्यात रहा है तथा राजस्थान में आतंकवादियों को मुस्तैदी से पकडे जाने पर श्री भैरोसिंह जी शेखावत को जेड प्लस सुरक्षा कराई गई थी और इन आतंकी खतरों को देखते हुए बंगले की भारी सुरक्षा व्यवस्था के आदेश जारी किये है। वादग्रस्त बंगला भारत सरकार के अनुरोध पर अप्रार्थी की माता को आवंटित किया गया है और अप्रार्थी उसमें परिवार सहित निवास कर रहा है अतः अधिभोगित आवास को जब तक कि वह रिक्त नहीं हो अन्य किसी को आवंटित किये जाने का तथ्य गलत है। रिक्त बंगले को ही आवंटित किया जा सकता है। अप्रार्थी का अधिभोग अनाधिकृत नहीं है बल्कि वादग्रस्त बंगला अप्रार्थी की माता श्रीमती सूरज कंवर को नियमानुसार आवंटन होने के कारण वास्तविक रूप से साधिकार काबिज है और राज्य सरकार को इस बंगले का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति के बाबत् श्री अनिल पारीक, अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम, जयपुर द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प–14 (1) सा प्र/2/2014 दिनांक 04.06.2014 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। जो कि नियमो के विरूद्ध है अधिशाषी अभियन्ता को परिवाद प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। वादग्रस्त सम्पति भारत सरकार के अनुरोध पर दी गई है इस प्रकार जब तक इस परिसर पर काबिज व्यक्ति के बाबत विशिष्ठ आदेश के द्वारा प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नही की जाती तब तक अन्य के द्वारा परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में परिवाद चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री चौधरी ने अपनी बहस जारी रखते हुऐ यह भी कथन किया कि राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि अप्राधिकृत अधिवासियों को बेदखली अधिनियम, 1964 में दिये गये वैधानिक आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार विचारण सम्पदा अधिकारी को सर्वप्रथम विधिक तौर पर सन्तुष्टिप्रद सम्पत्ति प्रकरण के तथ्यों के आधार पर प्रकट कर अभिमत व्यक्त करते हुए अंकित किया जाना चाहिए जब तक ऐसी विधिक राय व्यक्त नहीं की जा सकती तब तक अधिनियम के इस प्रावधान व धारा के अन्तर्गत कोई अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती है इस आधार पर प्रकरण ड्रोप फरमाया जावे। अतः परिवाद प्रार्थना पत्र सारहीन होने से निरस्त फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। उभय–पक्षों के विद्वान् अभिभाषकों द्वारा दौराने बहस किये गये कथन में यह बिन्दु निर्विवाद रूप से उभर कर आया है कि अप्रार्थी को राजकीय आवास का आंवन्टन राजकीय आवास आवन्टन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलता प्रदान करते हुए किया गया है। अतः आंवन्टित आवास के सम्बन्ध में किसी विवाद का निराकरण अथवा संचालन भी निश्चित रूप से नियम, 1958 के अन्तर्गत होगा। परिणामतः इस न्यायालय को विचारण प्रकरण के सुनवाई एवं निस्तारण की शक्तियां नियम, 1958 के अन्तर्गत प्राप्त होने एवं श्रवण क्षेत्राधिकार होने से अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रकरण के सुनवाई के संबंध में उठाई गई आपत्ति चलने योग्य नहीं पाते है। वादग्रस्त सम्पत्ति सुसज्जित राजकीय बंगला संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर श्रीमती सूरज कंवर पत्नी स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत को उनके निवास हेतु दिनांक

Estate Officer, Addl. District Magistrate (City) JAIPUR

15.05.2010 से राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए आवंटन आदेश क्रमांक प. 17(1)साप्र / 2 / 09 जयपुर दिनांक 19.10.2010 द्वारा वादग्रस्त आवास उप राष्ट्रपति पेंशन एक्ट, 1997 के अन्तर्गत जारी उप राष्ट्रपति पेंशन हाऊसिंग तथा अन्य सुविधाएं नियम, 1999 के नियम 4(ए) के प्रावधान अन्तर्गत केवल आंवंटी के जीवित रहने तक के लिए एवं अन्य किसी व्यक्ति को हस्तानान्तरित नहीं किये जाने की शर्त पर आवंटित किया गया है। आवंटी श्रीमती सूरज कंवर का दिनांक 09.03.2014 को निधन होना अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह दत्तक पुत्र स्व0 श्री भैरोसिंह शेखावत द्वारा स्वीकार किया गया है और मृत्यु दिनांक 09.03.2014 के संबंध में कोई विवाद नहीं है। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिनसे यह जाहिर होता हो कि अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह को वादग्रस्त बंगला संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर का आवंटन / हस्तानान्तरण श्रीमती सूरज कंवर के निधन के पश्चात वैधानिक रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया हो। अतः उक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा वादग्रस्त बंगला संख्या 14. सिविल लाईन, जयपुर का अनाधिकृत रूप से उपयोग एवं उपभोग किया जा रहा है। राजकीय आवास रिक्त नही किये जाने पर राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही का प्रावधान है और इस प्रयोजन हेतु सम्पदा अधिकारी की शक्तियां इस न्यायालय में निहित है और जिस विभाग द्वारा आवास का आवन्टन किया गया है उसी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत पदाधिकारी द्वारा परिवाद बाबत बेदखली प्रस्तुत किया गया है, ऐसी स्थिति में सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया गया परिवाद होना पाते है। श्रीमती सूरज कंवर की मृत्यु के पश्चात बंगला संख्या 14 पर काबिज अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह को बंगला संख्या 14 रिक्त कर कब्जा संभलाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि., नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर के पत्र क्रमांक 7715 दिनांक 05.01.2015, शासन उप सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग के नोटिस क्रमांक प. 17(1)साप्र / 2 / 2009 जयपुर दिनांक 19.02.2015, संयुक्त शासन सचिव के नोटिस दिनांक 10.02.2017 एवं नोटिस दिनांक 31.03.2017 द्वारा अप्रार्थी को आवास रिक्त किये जाने हेतु सूचित किया गया है, इसके बावजूद भी अप्रार्थी द्वारा आवास को रिक्त नहीं किया गया है पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नही है जो प्रार्थी के कथन का खण्डन करते हो। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत बेदखली को स्वीकार किये जाने योग्य पाते है। उक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध है कि आवास संख्या–14, सिविल लाईन, जयपुर राजकीय सम्पत्ति है और अप्रार्थी श्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा आवंटी श्रीमती सूरज कंवर की दिनांक 09.03.2014 को मृत्यु हो जाने के बावजूद भी एक दीर्घ अवधि गुजर जाने के पश्चात् भी आवास को रिक्त कर कब्जा नहीं सम्भलाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा राजकीय आवास संख्या–14, सिविल लाईन, जयपुर पर अप्राधिकृत रूप से अधिवास किया जा रहा है, प्रार्थी, राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 के प्रावधानों के अन्तर्गत आवास संख्या 14, सिविल लाईन, जयपुर को रिक्त कराये जाने हेतु पात्र है।

Estate Officer, Addl. District Magistrate, JAIPUR

आदेश

(फॉर्म–बी)

इस प्रकार मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता ऊपर अंकित किये गये कारणों से संतुष्ट हूं, कि श्री विक्रमादित्य सिंह सार्वजनिक परिसर सुसज्जित बंगला संख्या–14, सिविल लाईन, जयपुर (जिसको नीचे अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है) पर अनाधिकृत रूप से काबिज है।

अब, इसलिए राजस्थान सार्वजनिक भू–गृहादि (अप्राधिकृत अधिवासियों की बेदखली) अधिनियम, 1964 की धारा 5(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में इसके द्वारा आदेशित किया जाता है कि श्री विक्रमादित्य सिंह और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, इस निर्णय के प्रकाशन की 30 दिवस की अवधि में खाली कर दें। इस आदेश की ऊपर अंकित की गई अवधि में अनुपालना करने से इंकार करने अथवा विफलता की स्थिति में श्री विक्रमादित्य सिंह और जिस किसी के अनाधिकृत रुप से यह परिसर अथवा इसका कोई भाग कब्जे में है, से बेदखल किये जाने हेतु उत्तरदायी हैं। अतः अनाधिकृत रूप से काबिज को निर्देश दिये जाते है कि वे सिविल लाईन, जयपुर स्थित राजकीय आवास संख्या–14 को 30 दिवस में रिक्त कर प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर को कब्जा सम्भला दे। प्रार्थी अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर को आदेश दिये जाते है कि आदेश की एक प्रति आवास सख्या–14, सिविल लाईन, जयपुर के बाहर दरवाजे पर चस्पानगी करें साथ ही उपरोक्त निर्धारित अवधि उपरान्त उक्त परिसर के कब्जे के लिये जाने हेतु धारा 5(2) के तहत अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड–प्रथम, जयपुर को अधिकृत किया जाता है।

अनुसूची

"सुसज्जित राजकीय आवास संख्या संख्या–14, सिविल लाईन, जयपुर"।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Estate Officer, Addl. District Magistrate (Judl.) JAIPUR

ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR